आदेश पत्रिका निरंतर

02.06.2025

आवेदक द्वारा श्री रिंकी आर्य अधिवक्ता।

प्रकरण मूल आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

आवेदक अधिवक्ता ने लिखित आवेदन पेश कर व्यक्त किया है कि प्रकरण में बल नहीं देना चाहते हैं। प्रकरण समाप्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्रकरण अनावेदकगण के विरूद्ध बंधक संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो वर्तमान में मूल आवेदन पर तर्क हेतु नियत है। आवेदक/संस्था की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने लिखित आवेदन पेश कर व्यक्त किया है कि वे प्रकरण में बल नहीं देना चाहते है। इस संबंध में टीप हाशिये पर भी अंकित की गयी है।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा आदेश पत्रिका पर की गयी टीप के आधार पर प्रकरण की समस्त कार्यवाही समाप्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम पंजी एवं सी.आई.एस. में दर्ज किया जाकर, अभिलेखागार संचित किया जाये।

2.6.25

(शशांक सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इंदौर
जिला इन्दौर म0प्र0
मुख्य न्यायिक मजि.
इन्दौर (म.प्र.)